वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 04.06.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 04.06.2025

सेंट्रल जेल और मकबूल आलम रोड का कराया सुंदरीकरण

वाराणसी। वीडीए की ओर से सेंट्रल जेल रोड और मकबूल आलम रोड पर शहरी सुंदरीकरण कार्य पूरा कराया गया। इस रोड के प्लेसमेकिंग, लैंडस्केपिंग और पैदल मार्ग का काम पूरा हो गया है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि सौंदर्यपूर्ण पैदल मार्ग और बैठने की व्यवस्था की गई है। बनारस घराना शैली में कलात्मक साइनबोर्ड लगाए गए हैं। सात सुरों को दर्शाते हुए एक्रेलिक पैनल लगाए गए हैं। रात में प्रकाश की विशेष व्यवस्था की गई है। सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। स्थानीय नागरिक अब नियमित रूप से टहलने के लिए इस मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। इससे क्षेत्र में फुटफॉल में बढ़ोतरी हुई है। वेंडर्स को भी इसका लाभ मिल रहा है। ब्यूरो

हिन्दुस्तान–दि0 04.06.2025

मकबूल आलम रोड पर पाथ-वे पूरा हुआ

वाराणसी। सेंट्रल जेल रोड और मकबूल आलम रोड पर सौंदर्यीकरण कार्य पूरा हो गया है। आठ करोड़ रुपये से वीडीए ने ये प्रोजेक्ट बनाया था। पाथ-वे, पौधरोपण, संगीत पथ, बैठने की व्यवस्था से यहां लोगों की आवाजाही बढ़ी है। यहां शहर का नया सेल्फी प्वाइंट बन गया है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि यह परियोजना न केवल शहरी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 04.06.2025

सेंट्रल जेलसे मकबुल आलम रोड का हुआ सौंदर्यीकरण

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सेंट्रल जेल रोड से मकबुल आलम रोड पर सौंदर्यीकरण कार्य का कार्य पुर्ण हुआ। इसमें प्रमुख रूप से पैदल मार्ग और बैठने की व्यवस्था बनारस घराना की शैली में कलात्मक साईन बोर्ड सात सुर को दर्शाते ऐक्रेलिक के अलावा ट्रेलिस संरचना छाया व हरियाली दिखायी देगी। व्यवस्था कुछ इस प्रकार की गयी है कि सेफ्टी

प्वाइंट बनाया गया लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके नवीनीकरण में नागरिकों के टहलने की विशेष तौर पर व्यवस्था की गयी है जिससे कि लोग अपना स्वास्थ्य वर्जन कर सकें। क्षेत्र में फुटफाल में वृद्धि हुई जिसमें वेंडर को भी अवसर मिलेगा विकसित हुये मार्ग पर सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक दोनों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। रात्रि के समय यहां आकर्षण लाईट की व्यवस्था है जिसमें लोगों को सुविधा और आकर्षण दोनों मिलेगा। विकास प्राधिकरण प्रारंभ में उक्त मार्ग को लिया है। धीरे-धीरे अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 04.06.2025

सेंट्रल जेल रोड एवं मकबूल आलम रोड पर शहरी सौंदर्यीकरण कार्य पूर्ण

वाराणसी । विकास प्राधिकरण द्वारा सेंट्रल जेल रोड एवं मकबूल आलम रोड के प्लेसमेकिंग, लैंडस्केपिंग एवं पैदल मार्गीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। इस परियोजना का सेल्फी प्वाइंट जिससे क्षेत्र में जीवंतता बढ़ी, स्थानीय नागरिक अब नियमित रूप से टहलने हेतु इस मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। क्षेत्र में फुटफॉल में वृद्धि हुई है जिससे वेंडर्स को भी अवसर प्राप्त

उद्देश्य नागरिक सुविधा, सार्वजनिक सहभागिता तथा सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करना रहा। सौंदर्यपूर्ण पैदल मार्ग और बैठने की व्यवस्थाख बनारस घराना शैली में कलात्मक साइनबोर्ड, सात सुर को दर्शाते ऐक्रेलिक पैनल जिनमें रात्रि प्रकाश की विशेष व्यवस्था, ट्रेलिस संरचना द्वारा छाया व हरियाली, विशेष हुआ। सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते तत्वों ने स्थान को सामाजिक रूप से जोड़ने का कार्य किया। रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था से क्षेत्र अधिक सुरक्षित एवं आकर्षक बना। यह परियोजना न केवल शहरी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 04.06.2025

अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-1, वार्ड-शिवपुर के अंतर्गत में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-शिवपुर, के अंतगर्त बनारसी सिंह मौजा कानूडीह परगना शिवपुर में बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 5 बीघा के क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त दिनांक 26-10-2024 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गया तदृक्रम में दिनांक 27.01.2025 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया। पारित ध्वस्तीकरण के अनुपालन में आज दिनांक 02.06.2025 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।मौके पर जोनल अधिकारी श्री शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।